# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 65/प्रा.पत्र/2019

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी (राज.)

– **प्रार्थी**

बनाम

श्री प्रहलाद गुर्जर आ0 मांगीलाल गुर्जर, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स श्री देईखेडा दुध डेयरी, नाहर का चौहटटा, बून्दी। निवासी– बडानयांगाव, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

– **अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51**
**एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :–

**प्रार्थी की ओर से** :– श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
**अप्रार्थी की ओर से** :– विद्वान अभिभाषक श्री हरीश कपूर ।

## निर्णय

दिनांकः 12.02.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री गिरिराज शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 16.07.2018 को समय दोपहर 11:30 ए.एम. पर दौराने गश्त खाद्य पदार्थो की चैंकिग हेतु नमूनीकरण बैग सहित नाहर का चौहटटा बून्दी स्थित मैसर्स श्री देईखेडा दुध डेयरी पर पहुँचा, अपना परिचय देकर उस व्यक्ति का नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम श्री प्रहलाद गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर निवासी बडानयागांव, तहसील हिण्डोली का होना बताया। मैंने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने अनुज्ञापत्र संख्या 22219059000159 होना जाहिर किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर खाद्य/पेय पदार्थ, **मिक्सड मिल्क**, फ्रीज में रखी टंकी में लगभग 40

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

लीटर रखा हुआ था। मिक्सड मिल्क में मिलावट का शक होने अभियुक्त को फार्म नं. 5ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुऐ, स्टील पलन्जर से हिलामिलाकर एकरूपकर, मापकर,2 लीटर एक साफ सुखी व स्वच्छ स्टील बाल्टी में वास्ते जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रू 70/– नगद देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य पदार्थ मिक्सड मिल्क को पुनः एकरूप कर चार कांच की साफ सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक कांच की शीशी में बतौर परिक्षक फार्मेलीन की 40–40 बून्दे डालकर , ढक्कन लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1255 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर सवंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर तात्कालिक डी.ओ. बून्दी डा0 सुरेश चन्द जैन द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1255 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहो एवं मैने भी चारो नमूना भागो पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहो ने हस्ताक्षर किये एवं मैने भी हस्ताक्षर किये। नमूना वास्ते जॉच खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा भेजा गया। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी के पत्रांक एफएसएसए/2018/211 दिनांक 05.09.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 424/एफएसएसए/एक्ट/2018/452 दिनांक 11.08.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिक्सड मिल्क, **अवमानक** स्तर का खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा **सबस्टैंडर्ड मिक्सड मिल्क** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित, अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक ने अवगत कराया कि निर्णय न्यायालय स्तर से किया जावें।

खाद्यय सुरक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेज निम्न है:–

| क्र. स. | दस्तावेज विवरण | कुल पृष्ठ |
|---|---|---|
| | | 01–03 |
| 1. | न्यायनिर्णयन आवेदन। | 04–07 |
| 2. | गजट नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षैत्र आवंटन आदेश की फोटो प्रतिया। | 08 |
| 3. | फार्म सं. 5–ए मूल प्रति। | 09 |
| 4. | रसीद माल खरीद | 10 |
| 5. | फर्द रिपोर्ट | |

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

| | | |
|---|---|---|
| 6. | अभिहीत अधिकारी द्वारा खाद्य नमुना के 2 भाग चौथा भाग की प्राप्त रसीद। | 11 |
| 7. | खाद्य विश्लेषक कोटा द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म न0 6 की द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीदें। | 12 |
| 8. | अभिहीत अधिकारी द्वारा नमूने की जांच रिपोर्ट खाद्य कारबार कर्ताओ को (रजिस्टर्ड डाक से ) एवं अधोहस्ताक्षरकरर्ता को भिजवाये जाने बाबत लिखे पत्र की प्रति मय प्राप्ति रसीद। | 13 |
| 9. | खाद्य विश्लेषक कोटा की नमूना की जांच रिपोर्ट। | 14 |
| 10. | मैसर्स श्री देईखेडा दुध डेयरी बून्दी को फर्म के खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन एवं फर्म के मालिक भागीदारो के फोटो पहचान पत्र की स्व स्तयापित प्रतिलिपी। | 15–17 |
| 11. | मैसर्स श्री देईखेडा दुध डेयरी बून्दी को फर्म के खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन एवं फर्म के मालिक भागीदारो के फोटो पहचान पत्र की स्व स्तयापित प्रतिलिपी। | 18–19 |
| 11. | अभिहीत अधिकारी बून्दी को प्रकरण से सम्बधित पत्रावली पेश करने बाबत लिखे पत्र की प्रति। | 20 |
| 12. | अभिहीत अधिकारी बून्दी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे पत्र की प्रति। | 21 |
| 13. | इस्तागासे की एक अतिरिक्त प्रति मय जांच रिपोर्ट (अभियुक्त के लिये)। | 22–25 |

हमने पत्रावली में प्रस्तुत/उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं कमांक **U-1255** की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 424/एफएसएसए/एक्ट/2018/452 दिनांक 11.08.2018 के अनुसार निम्न है :–

**The sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.2 Mixed Milk of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition for analysis and has been analysed on 20-07-2018 to 11-08-2018.**

<u>Analysis Report</u> :-

| S. No. | Quality characteristics | Name of the method of the test used | Results | Prescribed standards as per<br>(a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made there under.<br>(b) As per label |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | declaration for proprietary food. |
| 1. | Milk solids not fat. | manual of methods of analysis of Foods by FSSAI. | 4.0 % | Minimum 4.50 % |
| 2. | Milk solids not fat. | Manual of methods of analysis of Foods by FSSAI. | 7.56% | Minimum 8.50% |

**Opinion:** The sample of "Mixed Milk" bearing Code No. and Sr. No. U-1255 of Designated Officer cum the Chief Medical Officer, Bundi, is Substandard as Milk Fat. And Milk solids not fat, are does not meet to the prescribed Standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. Sample is Substandard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & Standards Act, 2006.

[Section 3(1)(zx) is-"sub-standard" an article of food shall be deemed to be sub-standard if it does not meet the specified standards but not so as to render the article of food unsafe.]

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मिक्सड मिल्क, सबस्टैंडर्ड (**Substandard**) स्तर का पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी श्री प्रहलाद गुर्जर आ0 श्री मांगीलाल गुर्जर स्थाई पता–बडानयागांव, तहसील हिण्डोली, नमूना स्थल–श्री देईखेडा दुध डेयरी, नाहर का चौहट्टा बून्दी द्वारा 40 लीटर मिक्सड मिल्क, सबस्टैंडर्ड (**Sub-standard**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है।

हालांकि उक्त प्रकरण में प्रचलित विधिक प्रावधान निम्न प्रकार है :–

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के उल्लंघन की दशा में सबस्टैंडर्ड (**Sub-standard**) में राशि पॉच लाख एवं धारा 58 कॉन्ट्रावेन (**Contraventions**) में राशि की अधिकतम दो लाख रूपये सीमा तक जुर्माना/दण्ड/शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है, तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

अतः अप्रार्थी श्री प्रहलाद गुर्जर आ0 श्री मांगीलाल गुर्जर स्थाई पता–बडानयागांव, तहसील हिण्डोली, नमूना स्थल–श्री देईखेडा दुध डेयरी, नाहर का चौहट्टा बून्दी द्वारा 40 लीटर मिक्सड मिल्क, सबस्टैंडर्ड (**Sub-standard**) का विक्रय के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)के तहत जुर्माना राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये ) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद (0210–04–800–03–00) में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)